

M.P. PROFESSIONAL EXAMINATION BOARD, BHOPAL

Pre-Polytechnic Test (PPT) - 2011

• Starting Date of Online Submission	1.3.2011
• Last date of Online Submission	22.3.2011
• Date of Test	10.04.2011 Sunday
• Test Fee	For UR/OBC - 500/- For SC/ST - 250/-
+ 50/- M.P. Online Kiosk Charge	

TIME TABLE

Day and Date of Test	Test Starts	Distribution of Answer Sheet	Time for filling the required entries on the Answer Sheet	Distribution of Question Booklet	Time for Examining the Question Booklet	Time for Marking the Answers on the Answer Sheet
Sunday 10.04.2011	10.00 AM	10.00 AM	10.00 AM TO 10.10 AM = 10 Minutes	10.10 AM	10.10 AM TO 10.15 AM = 05 Minutes	10.15 AM TO 01.15 PM = 3 Hrs.

NOTE :

- A candidate entering the examination hall after 15 minutes from the commencement of the test shall not be permitted to take the test.
- The candidate must handover the marked OMR answer sheet to the invigilator before leaving the examination hall.
- Use of cellular/mobile phones, calculators, log tables, Extra papers etc. is strictly prohibited.

पी.पी.टी. – 2011

विषय – सूची

अध्याय – 1 निर्देश एवं परीक्षा संचालन नियम

स.क्रं.	विवरण	नियम क्रं.	पृष्ठ संख्या
1.	ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया	1.2	3
2.	ऑनलाईन आवेदन-पत्र की स्क्रुटनी / निरस्तीकरण	1.3	3
3.	निरस्त होने के कारणों की सूचना	1.4	4
4.	परीक्षा प्रवेश-पत्र [Test Admit Card]	1.5	4
5.	परीक्षा शहर	1.6	4
6.	परीक्षा पद्धति	1.9	5
7.	मूल्यांकन पद्धति	1.11	5
8.	त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक	1.12	5
9.	परीक्षा परिणाम का प्रकाशन	1.13	5
10.	मण्डल का दायित्व	1.17	6

अध्याय – 2 विभागीय प्रवेश नियम

स.क्रं.	विवरण	नियम क्रं.	पृष्ठ संख्या
1.	सामान्य / परिभाषायें	2.1	7
2.	क्षैतिजीय आरक्षण उपलब्ध सीटें	2.5	8
3.	विकलांग उम्मीदवार हेतु आरक्षण	2.6	10
4.	मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकतायें	2.9	11
5.	सीटों की उपलब्धता	2.13	13
6.	सीटों का आरक्षण	2.15	14
7.	प्रवेश परीक्षा हेतु पात्रता एवं शैक्षणिक अर्हता	2.16	14
8.	योग्यता कमसूची	2.17	15
9.	सीट तालिका		16-21
10.	प्रमाण पत्रों के प्रारूप		22-34

अध्याय – 3 पाठ्यक्रम

स.क्रं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	पाठ्यक्रम	35-41

प्री-पोलीटेक्निक टेस्ट (पी.पी.टी.) – 2011

अध्याय – 1

निर्देश एवं परीक्षा संचालन नियम

महत्वपूर्ण :-

ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन काउंसिलिंग/प्रवेश के समय मूल दस्तावेजों के आधार पर संबंधित विभाग/संस्था द्वारा किया जायेगा। अतः बाद में यह पता चलता है कि सफल आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरते समय गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है, ऐसी स्थिति में यदि यह पाया गया कि कोई उम्मीदवार झूठी/गलत जानकारी देकर या सुसंगत तथ्यों को छुपा कर प्रवेश पाने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया गया कि आवेदक को किसी गलती या चूकवश प्रवेश मिल गया है, तो आवेदक को दिया गया प्रवेश संस्था प्रमुख/प्रवेश प्राधिकरण/मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा उसके अध्ययन काल के दौरान तुरंत बिना किसी सूचना के रद्द किया जा सकेगा।

1.1 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज :-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ कोई भी प्रमाण-पत्र/दस्तावेज संलग्न नहीं किया जाना है। केवल आवेदक का फोटो व हस्ताक्षर ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किया जाना होगा।

1.2 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया :-

- (1) ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के लिए वेबसाइट www.vyapam.nic.in या www.mponline.gov.in का उपयोग करें।
- (2) उपरोक्त उल्लेखित वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन-पत्र भरने संबंधी निर्देशों को भलीभांति पढ़ने के उपरांत ही ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरें।
- (3) आवेदन पत्र पर लगाये जाने वाले फोटो से संबंधित निर्देश :-
 - (i) आवेदन पत्र पर लगाये जाने वाला फोटो रंगीन हो,
 - (ii) फोटो का साईज 3.5 से0मी0 X 4.5 से0मी हो,
 - (iii) फोटो अच्छी गुणवत्ता का एवं पृष्ठभाग (background) सफेद हो,
 - (iv) पोलोराइड फोटो मान्य नहीं होगा,
 - (v) आवेदन पत्र पर लगाया जाने वाला फोटो तीन माह से अधिक पुराना न हो,
 - (vi) फोटो खिचाते समय सामने की ओर आवेदक का नाम एवं फोटो खिचाने की तारीख अंकित हो,
 - (vii) फोटो काला चश्मा पहने हुये न हो,
 - (viii) यदि पढ़ने वाला चश्मा लगाया जाता है ,तो फोटो खिचाते समय चश्मा लगाकर फोटो खिचवाया जायें,
 - (ix) जो फोटो आवेदन पत्र में लगाया जाये,वही फोटो काउंसिलिंग एवं प्रवेश के समय दिया जाना होगा। अतः आवेदन पत्र में लगायी जाने वाली फोटो की कम से कम 5 प्रतियाँ अनिवार्यतः बनवाई जायें ।
- (4) आवेदन पत्र में किये जाने वाले हस्ताक्षर पूरे किये जाना चाहियें अर्थात लघु हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।
- (5) जो हस्ताक्षर आवेदन पत्र में किये गये हैं, उसी प्रकार के हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग एवं प्रवेश के समय किये जायें, इसका ध्यान रखा जाये।
- (6) कैपिटल लेटर में किये गये हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।

1.3 ऑनलाईन आवेदन-पत्र की स्क्रूटनी/निरस्तीकरण :-

ऑनलाईन पद्धति से निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदन-पत्रों की ही स्क्रूटनी निम्न बिन्दुओं पर की जायेगी :-

- | | | | |
|----------------------|----------------------------|--------------|-------------|
| (i) अभ्यर्थी का फोटो | (ii) अभ्यर्थी के हस्ताक्षर | (iii) श्रेणी | (iv) संवर्ग |
| (v) मूल निवासी | (vi) जन्मतिथि | (vii) लिंग | |

उपरोक्त जानकारी रिक्त/गलत/अपूर्ण होने की स्थिति में आवेदन-पत्र निरस्त किया जायेगा। चयन उपरांत उपरोक्त सभी जानकारीयों का सत्यापन संबंधित विभाग द्वारा काउंसलिंग के समय मूल दस्तावेजों से किया जायेगा।

1.4 निरस्त होने के कारणों की सूचना :-

- (i) आवेदन-पत्र में अनिवार्य जानकारी जिन्हें * से चिन्हित किया गया है, पर ऑनलाईन रेक्टिफिकेशन प्रक्रिया का प्रावधान होगा। अनिवार्य जानकारी जिन्हें * से चिन्हित किया गया है, के रिक्त होने पर आवेदक को उसे सुधारने का अवसर ऑनलाईन रेक्टिफिकेशन प्रक्रिया के माध्यम से दिया जायेगा। विशेषकर ध्यान दें कि जिस अभ्यर्थी के आवेदन के साथ फोटो प्राप्त नहीं होता है, उसका आवेदन अमान्य कर दिया जायेगा तथा किसी भी स्थिति में मान्य नहीं किया जायेगा तथा इस पर रेक्टिफिकेशन का प्रावधान भी नहीं रहेगा।
- (ii) नियमानुसार निरस्त किये गये आवेदन-पत्रों की जानकारी, निरस्तीकरण के कारण सहित मंडल की वेबसाइट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध कराई जायेगी।
- (iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में * से चिन्हित जानकारीयों से संबंधित त्रुटि सुधार हेतु दिए गए दिशा निर्देशानुसार परीक्षा पूर्व तक एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत क्योस्क के माध्यम से या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित त्रुटि सुधार शुल्क रु. 100/- एवं एम.पी. ऑनलाईन प्रोसेसिंग शुल्क रु. 50/- के साथ त्रुटि सुधार फार्म वेबसाइट www.vyapam.nic.in या www.mponline.gov.in पर जमा कर ऑनलाईन टेस्ट एडमिट कार्ड प्राप्त किया जा सकता है।

1.5 परीक्षा प्रवेश-पत्र [Test Admit card (TAC)] :-

मण्डल कार्यालय में नियमानुसार मान्य आवेदन-पत्र के अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र (Test Admit card-TAC) जारी किए जायेंगे। अभ्यर्थियों को डाक द्वारा प्रवेश-पत्र प्रेषित नहीं किए जायेंगे। समस्त प्रवेश-पत्र मण्डल की वेबसाइट www.vyapam.nic.in पर अपलोड कर दिए जायेंगे तथा परीक्षा तिथि से तीन दिन पूर्व अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक का प्रयोग करते हुए प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। बिना प्रवेश-पत्र के अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

महत्वपूर्ण – प्रवेश-पत्र को रद्द/निरस्त/परिवर्तित करने या वापस लेने का संपूर्ण अधिकार मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल को होगा।

1.6 परीक्षा शहर :- यह परीक्षा निम्नलिखित शहरों में आयोजित की जायेगी :-

बालाघाट	बैतूल	भोपाल	बुरहानपुर	छतरपुर	छिंदवाड़ा	देवास	ग्वालियर	होशंगाबाद	इन्दौर	जबलपुर	कटनी
खण्डवा	खरगौन	रतलाम	रीवा	सागर	सतना	शहडोल	सीधी	टीकमगढ़	उज्जैन	विदिशा	

किसी परीक्षा शहर में अभ्यर्थियों की संख्या कम होने पर उसे परिवर्तित/निरस्त करने का अधिकार मण्डल सुरक्षित रखता है।

1.7 परीक्षा कक्ष में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री :-

- (1) प्रवेश-पत्र (TAC)
- (2) काला बॉलप्वाइंट पेन

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री जैसे कि सेल्यूलर/मोबाईल फोन, कैल्कुलेटर, लॉग टेबल, रफ पेपर आदि अभ्यर्थी के पास परीक्षा कक्ष में नहीं पाई जाना चाहिए अन्यथा अभ्यर्थी के विरुद्ध यू.एफ.एम. प्रकरण दर्ज किया जा सकता है तथा परीक्षा में बैठने से भी वंचित किया जा सकता है।

1.8 अनुचित साधन (Unfair means, UFM) :-

परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थी द्वारा अनुचित साधन/किसी पुस्तक/खुले कागज का उपयोग, अन्य परीक्षार्थियों से चर्चा करना या उसकी मदद लेना या किसी अन्य के माध्यम से कोई मदद लेना/देना, उनकी उत्तरशीट/प्रश्नपुस्तिका से नकल करना अथवा अपनी उत्तरशीट/प्रश्नपुस्तिका से अन्य परीक्षार्थियों से नकल करवाना, किसी अन्य परीक्षार्थी से इन्हें बदलना, कक्ष में बोलना या बताना आदि अनुचित साधनों के प्रयोग करते हुए वीक्षक अथवा सुपरवाइजरी स्टॉफ अथवा अभ्यर्थी के किसी अन्य कृत्य को पर्यवेक्षक/केंद्र अधीक्षक/वीक्षक द्वारा अनुचित साधन की श्रेणी माना जाता है, तो उस पर न्यायिक कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थी की उत्तरपुस्तिका को अनुचित साधन के अंतर्गत मानते हुए मूल्यांकन नहीं

किया जायेगा तथा उसका अभ्यर्थित्व निरस्त कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के अनुचित साधन का उपयोग किये जाने पर अभ्यर्थी को पुलिस को आवश्यक कार्यवाही हेतु सौंपा जायेगा और उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य उम्मीदवार के स्थान पर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो वह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे अपराध के लिए आवेदनकर्ता एवं उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति विधि के अनुसार सजा या जुर्माना एवं दोनों से दण्डित किये जा सकेंगे। साथ ही उम्मीदवार का परीक्षा परिणाम भी निरस्त किया जायेगा।

1.9 परीक्षा पद्धति :-

इस परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 150 प्रश्नों एक प्रश्न-पत्र होगा, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/ विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उसमें संबंधित गोले को ओ.एम.आर. उत्तरशीट पर काले बॉल प्वाइंट पेन से काला करना होगा। उत्तरशीट की समस्त प्रविष्टियाँ भी काले बॉल प्वाइंट पेन से करना होगी।

1.10 पाठ्यक्रम :-पाठ्यक्रम नियम पुस्तिका के अध्याय-3 में दर्शाया गया है।

1.11 मूल्यांकन पद्धति :-

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर अंकित करने या एक से अधिक उत्तर (Multiple marking) अंकित करने एवं प्रश्नों के उत्तर अंकित न करने के फलस्वरूप शून्य (Zero) अंक प्रदाय किया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

1.12 त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक :-

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा विषय विशेषज्ञों से प्रश्नपत्र के प्रत्येक प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। विषय विशेषज्ञों द्वारा किसी प्रश्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उस प्रश्न को निरस्त कर दिया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं :-

1. प्रश्न की संरचना गलत हो।
2. उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।
3. कोई भी विकल्प सही न हो।
4. यदि प्रश्न-पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
5. कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो। प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न-पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मण्डल अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

उदाहरण स्वरूप यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$90 \times 200 / (200-2) = 90.90 \text{ rounded off to } 91.00$$

1.13 परीक्षा परिणाम का प्रकाशन :-

अध्याय-1 एवं 2 में उल्लेखित परीक्षा/प्रवेश नियमों के आधार पर मण्डल द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। परीक्षा परिणाम मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के नोटिस बोर्ड तथा मण्डल की वेबसाइट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध होगा।

1.14 अंक सूची :-

परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत मण्डल द्वारा अभ्यर्थियों को अंकसूची का डाक द्वारा प्रेषण नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थियों को अपनी अंकसूची मण्डल की वेबसाइट www.vyapam.nic.in से रोल नंबर के आधार पर डाउनलोड कर प्राप्त करना होगा।

- 1.15 डुप्लीकेट अंकसूची :-
डुप्लीकेट अंकसूची प्रदाय करने का प्रावधान नहीं है। उपरोक्त नियम क्रं. 1.14 में दर्शाये अनुसार अभ्यर्थी अंकसूची प्राप्त कर उसका उपयोग कर सकते हैं।
- 1.16 प्रवेश निरस्तीकरण :-
यदि यह पाया जाता है कि कोई उम्मीदवार किसी संस्था में झूठी/गलत सूचना देकर या सुसंगत तथ्यों को छुपा कर प्रवेश पाने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया जाता है कि उम्मीदवार को किसी गलती या चूकवश प्रवेश मिल गया है, तो उम्मीदवार को दिया गया प्रवेश संस्था प्रमुख द्वारा उसके अध्ययनकाल के दौरान तुरंत बिना किसी सूचना के प्रवेश रद्द किया जा सकेगा।
- 1.17 मण्डल का दायित्व :-
म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल का कार्य प्रवेश परीक्षा का संचालन एवं उसका परीक्षा परिणाम घोषित करना मात्र होगा। पी.पी.टी. परीक्षा-2011 संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार मण्डल का होगा। मण्डल अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं मण्डल द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।
- 1.18 परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत किसी भी कारण से ऑनलाईन आवेदन-पत्र में दी गई जानकारी में कोई भी संशोधन मान्य/स्वीकार नहीं होगा।
- 1.19 क्षेत्राधिकार :-
परीक्षा संचालन संबंधी किसी भी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकारी (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

प्री-पोलीटेकनिक टेस्ट (PPT)

अध्याय – 2

प्रवेश परीक्षा नियम-2011

मध्यप्रदेश के शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों/शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों, मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों/स्वशासी महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों, अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों एवं निजी क्षेत्र के पोलीटेकनिक महाविद्यालयों के तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा की एकजाई योग्यता क्रम सूचियों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिये जायेंगे।

2.1 परिभाषायें :

इन नियमों में, जहाँ तक गंदाश में शब्दों का तात्पर्य अन्यथा न हो :-

1. श्रेणी: का तात्पर्य है इन चार श्रेणी में से एक उदा. अनारक्षित (UR) अनुसूचित जाति (SC) अनुसूचित जनजाति (ST) अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (OBC)
2. व्यापम : का तात्पर्य है व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल.
3. सक्षम प्राधिकारी (स.प्रा.) का तात्पर्य है जिसको मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा सक्षम प्राधिकारी घोषित किया गया है.
4. प्राचार्य: का तात्पर्य है संस्था प्रमुख.
5. मध्यप्रदेश (म.प्र.) का तात्पर्य है म.प्र. राज्य जो 01.11.2000 को अस्तित्व में आया.
6. अ.भा.त.शि.प. : का तात्पर्य है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् नई दिल्ली.
7. "संयुक्त प्रवेश परीक्षा" से अभिप्रेत है राज्य शासन द्वारा अधिकृत ऐजेंसी द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा अर्थात् प्री-पोलीटेकनिक टेस्ट;
8. "व्यावसायिक संस्थान" से अभिप्रेत है ऐसी संस्थायें जो इंजीनियरिंग, टेक्नालॉजी, फार्मसी तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को संधारित करती हैं;
9. संचालक का तात्पर्य है संचालक तकनीकी शिक्षा मध्यप्रदेश, भोपाल.
10. कुलपति का तात्पर्य है कुलपति राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल.
11. वर्ग का तात्पर्य है इन चारों वर्गों में एक उदा० सैनिक (S), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (FF), विकलांग (H), बिना वर्ग (X).
12. "OP" सीटों से अभिप्रेत है महिला या पुरुष अभ्यर्थी.
13. "F" सीटों से अभिप्रेत है महिला अभ्यर्थी.

2.2 आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये नियमानुसार आरक्षण का प्रावधान है। म.प्र. के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को प्रारूप-1 के अनुसार घोषणा-पत्र काउंसलिंग के समय देना होगा।

2.3 मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी :-

ऐसा उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, उसे इस प्रवेश परीक्षा नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित प्रारूप 2(अ) अथवा 2(ब) में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। (मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ-7-2/96/अ.प्र./एक, दिनांक 01 अगस्त, 1996 देखें)

2.4 मध्य प्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (OBC) श्रेणी :-

ऐसा उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, उसे इस नियम पुस्तिका में दिये गए निर्धारित प्रारूप 3(अ) अथवा 3(ब) में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र 30 अप्रैल 2009 के पूर्व जारी किया गया हो तो उम्मीदवार को परिवार की कुल वार्षिक आय का नवीनतम आय प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो को परामर्श के समय प्रस्तुत करना होगा। (देखें मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रं. एफ-7-2/96/ आ.प्र./एक, दिनांक 12 मार्च, 1997 एवं आदेश क्रमांक एफ-7-16-2000/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 06.07.2000) तथा शासन द्वारा क्रीमिलेयर के संबंध में जारी किए गए नवीन दिशा निर्देश।

2.5 क्षैतिजीय आरक्षण (Horizontal Reservation) :

केवल शासकीय पोलिटेकनिक महाविद्यालयों, मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित स्वशासी पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलिटेकनिक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलिटेकनिक महाविद्यालयों में अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत सैनिक तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग के उम्मीदवारों के लिये क्रमशः 5 व 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।

2.5.1 सैनिक वर्ग (S) :-

सैनिक वर्ग में प्रतिरक्षा कर्मचारियों के रूप में सेवा कर चुके भूतपूर्व सैनिक, कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी तथा ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो चुकी हो या जो सेवा के दौरान स्थाई रूप से विकलांग हो गये हों। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु दावा करने वाले उम्मीदवार को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि, वह मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित भूतपूर्व सैनिक का पुत्र/पुत्री है। भूतपूर्व सैनिक से तात्पर्य

ऐसे व्यक्ति से है जो भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई, भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा के अंतर्गत आता है।

भूतपूर्व सैनिक के पुत्र/पुत्री होने के फलस्वरूप प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को अपने पिता/माता का भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण-पत्र इस नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप-4 भाग 'अ' में तथा अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण-पत्र प्रारूप 5 में, संबंधित जिले के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (पूर्व का पदनाम सचिव जिला सैनिक बोर्ड) से प्राप्त कर प्रस्तुत करने होंगे।

अथवा

वह मध्यप्रदेश के बाहर पदस्थ ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी का/की पुत्र/पुत्री है, जो मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी है। (प्रमाण पत्र प्रारूप-4 भाग (ब) में) उम्मीदवार को अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी होने संबंधी प्रमाण-पत्र प्रारूप-8 में प्रस्तुत करना होगा।

अथवा

वह 1 जनवरी, 2011 को अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश की तिथि तक मध्यप्रदेश में पदस्थ प्रतिरक्षा कर्मचारी का/की पुत्र/पुत्री है। (प्रमाण पत्र प्रारूप 4 भाग (ब) में) प्रस्तुत करना होगा।

टिप्पणी : सैनिक वर्ग के अंतर्गत किसी उम्मीदवार की पात्रता के संबंध में किसी संदेह अथवा विवाद की स्थिति में संचालक, सैनिक कल्याण मध्यप्रदेश द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा।

2.5.2 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग (FF) :

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उन पुत्रों/पुत्रियों एवं पौत्रों/पौत्रियों/नातियों/नातिनों को प्रवेश की पात्रता होगी जो नियम 2.9 के अनुसार मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी होने की शर्त पूर्ण करते हैं। इस नियम के प्रयोजन के लिये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से तात्पर्य यह है कि उसका नाम मध्यप्रदेश के संबंधित जिले के कलेक्टर में रखी हुई सूची में पंजीकृत है।

टिप्पणी : स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवार को मध्यप्रदेश के संबंधित जिले के कलेक्टर से प्रारूप 6 में प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

केवल कलेक्टर अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र ही उम्मीदवार का इस वर्ग का होने संबंधी एक मात्र वैध प्रमाण पत्र होगा।

2.5.4 महिला (Female) उम्मीदवारों हेतु आरक्षण

स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में समस्त सीटें महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेगी परन्तु सह शिक्षा पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में महिला उम्मीदवारों हेतु प्रत्येक श्रेणी एवं वर्ग के अंतर्गत 30 प्रतिशत सीटों का "कम्पार्टमेंटलाइज्ड" क्षैतिज आरक्षण उपलब्ध होगा। ऐसी सीटों को (F) दर्शाया जावेगा। महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षण यथासंभव संस्थावार एवं ब्रांचवार होगा।

2.6 विकलांग उम्मीदवारों (Physically Handicapped Candidates) हेतु आरक्षण :

मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालय/अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालय तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में 40 एवं अधिक प्रतिशत विकलांगता वाले विकलांग उम्मीदवार जो नियम 2.9 के अनुसार मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने की शर्त को पूर्ण करते हों, के लिए ब्रांचवार प्रवेश क्षमता में 3 प्रतिशत सीटों का क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण समस्त श्रेणियों यथा अनारक्षित (UR), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (OBC) में उपलब्ध रहेगा।

इन सीटों के विरुद्ध प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को निम्नांकित दोनों प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से काउंसिलिंग के दौरान ही प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(अ) जिला चिकित्सा मंडल द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र ; तथा

(ब) अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, विकलांगों हेतु व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र (Superintendent, Vocational Rehabilitation Centre for Physically Handicapped, Govt. of India, Ministry of Labour) नेपियर टाउन, जबलपुर द्वारा जारी पाठ्यक्रम पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होंगे।

2.7 जम्मू एवं काश्मीर राज्य के विस्थापित वर्ग (J & K Migrants Seats)

जम्मू एवं काश्मीर राज्य के विस्थापित वर्ग के पुत्र/पुत्रियों के लिए प्रत्येक संस्था में एक-एक सीट प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त अधिसंख्या के (over and above) आधार पर उपलब्ध है। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवार को निर्धारित प्रारूप-12 में जम्मू एवं काश्मीर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2.8 इसी वर्ग के अंतर्गत मध्यप्रदेश सेवा के ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को, जिनकी पदस्थापना जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण में रही हो और जिनके पुत्र/पुत्रियों ने जम्मू एवं कश्मीर राज्य से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, को भी उल्लेखित आरक्षित स्थानों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता होगी। ऐसे उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप-13 में प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

2.9 मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकतायें (M.P. Domicile Requirements)

1. जो भारत का नागरिक हो।
2. (क) जिसने वर्ष 2006 से वर्ष 2011 तक के पांच वर्षों की अवधि में मध्यप्रदेश में स्थित शिक्षण संस्था में कम से कम लगातार तीन वर्षों तक अध्ययन किया हो। (प्रमाण पत्र प्रारूप-7 में)

अथवा

(ख) मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी संबंधी प्रमाण-पत्र (प्रारूप-8 के अनुसार) संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा अथवा कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा जारी किया जाना चाहिए। इस प्रमाण पत्र में संदर्भ क्रमांक, जारी करने की तिथि व कार्यालय की सील तथा जारी करने वाले अधिकारी के नाम व पद का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।

अथवा

(ग) जो निम्नलिखित का पुत्र/पुत्री हो :-

(1) मध्यप्रदेश शासन के सेवारत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी अथवा मध्यप्रदेश शासन की सेवा में होते हुए मृत कर्मचारी अथवा मध्यप्रदेश के संवर्ग में धारित अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी (प्रमाण पत्र प्रारूप-9 में),

अथवा

(2) केंद्रीय शासन का ऐसा कर्मचारी (जिसमें सशस्त्र सेना के कर्मचारी, भारतीय डाकतार, टेलीफोन तथा रेलवे विभाग के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं) अथवा सार्वजनिक उपक्रम का ऐसा कर्मचारी जो जनवरी 2011 को अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश की तिथि तक मध्यप्रदेश में पदस्थ हो। (प्रमाण पत्र प्रारूप -10 में),

अथवा

(3) ऐसा व्यक्ति जो केंद्रीय शासन अथवा राज्य शासन की किसी योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश में स्थाई रूप से बस गया हो। (प्रमाण पत्र प्रारूप -11 में) ,

स्पष्टीकरण-1 अभिभावक :- किसी भी उम्मीदवार के अभिभावक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संबंधित जिला दंडाधिकारी की राय में आवेदक के पिता और माता की मृत्यु के बाद से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक उसका अथवा उसकी अचल संपत्ति का अथवा दोनों का वास्तविक संरक्षक/ नियंत्रक हो। अभिभावक होने के संबंध में सक्षम न्यायालय से तदाशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि उम्मीदवार के पिता जीवित न हों परंतु माता जीवित हो तो माता को ही उम्मीदवार का स्वाभाविक अभिभावक माना जावेगा और अन्य किसी व्यक्ति को अभिभावक के रूप में मान्यता नहीं होगी।

स्पष्टीकरण-2 दत्तक पुत्र/पुत्री : यदि कोई आवेदक अनारक्षित अथवा आरक्षित श्रेणी में दत्तक पुत्र/पुत्री के आधार पर प्रवेश चाहता है तो उसे दत्तक पुत्र/पुत्री होने के संबंध में समाधान कारक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जो प्रवेश के लिए आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि के कम से कम पांच वर्ष पूर्व प्रतिपादित वैध दत्तकनामा हो, दत्तकनामा तब तक मान्य नहीं किया जावेगा जब तक कि उसकी पुष्टि विद्यालय/महाविद्यालय के अभिलेख तथा उच्च/माध्यमिक अथवा गत पांच वर्षों से आवेदक द्वारा उत्तीर्ण किसी परीक्षा के प्रमाण पत्र से नहीं हो जाती है। इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता के लिये ऊपर वर्णित अभिलेख में दर्ज आवेदक के पिता का नाम ही केवल मान्य होगा। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के दत्तक आवेदकों के मामलों में यह आवश्यक होगा कि ऐसे आवेदक गोद लिये जाने के पूर्व भी क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के ही रहे हों। ऐसे आवेदक जो मूलतः अन्य जाति के हों तथा उन्हें किसी अनुसूचित जाति, अथवा जनजाति के व्यक्तियों ने गोद लिया हो, ऐसे आवेदक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को प्राप्त सुविधा एवं लाभ के पात्र नहीं होंगे।

2.10 शिक्षण शुल्क छूट योजना के अंतर्गत उपलब्ध सीटों के लिये :-

ए.आई.सी.टी.आई. द्वारा शासित समस्त संस्थाओं में संचालित तीन/चार वर्षीय डिग्री, डिप्लोमा एवं पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण शुल्क में छूट की योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी जिसमें प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत स्थान अतिरिक्त रूप से उपलब्ध होंगे। प्रवेश के लिये ऐसे अभिभावकों के पुत्र-पुत्री पात्र होंगे जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है। छूट केवल शिक्षण शुल्क की राशि जैसा कि प्रवेश तथा फीस विनायमक समिति द्वारा निर्धारित की गई हो, तक सीमित होगी एवं शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य समस्त शुल्क अभ्यर्थी द्वारा वहन किये जायेंगे। इस श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर ये स्थान अन्य अभ्यर्थियों से नहीं भरे जावेंगे। इस श्रेणी के अंतर्गत प्रवेशित अभ्यर्थी को अपनी ब्रांच/संस्था परिवर्तन का अधिकार नहीं होगा। जो उम्मीदवार इस श्रेणी अंतर्गत प्रवेश चाहते हैं उन्हें व्यापम द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में आवेदन करते समय स्पष्ट रूप से अपना विकल्प देना होगा साथ ही जो उम्मीदवार इस श्रेणी में प्रवेश चाहते हैं उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने परिवार की समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम होने संबंधी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इन स्थानों के लिए प्रवेश प्रक्रिया तथा परामर्श (काउन्सलिंग) उसी प्रकार होगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जाए।

2.11 मध्यप्रदेश राज्य शासन के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी तथा गरीबी रेखा के नीचे के स्तर के व्यक्तियों के पुत्र/पुत्रियों को अतिरिक्त सुविधा :-

मध्यप्रदेश राज्य शासन के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी तथा गरीबी रेखा के नीचे के स्तर के व्यक्तियों के पुत्र/पुत्रियों को भी काउंसिलिंग में सम्मिलित कर संस्था/ब्रांच विशेष के चयन हेतु प्राथमिकता दी जावेगी। किसी श्रेणी के योग्यताक्रम सूची के ऐसे उम्मीदवार जो किसी संस्था विशेष में प्रवेश लेने के इच्छुक होंगे उन्हें काउंसिलिंग के दौरान प्रथमतः इच्छित संस्था का आवंटन किया जाकर ब्रांच का आवंटन संस्था में मेरिट के अनुसार किया जावेगा। इस सुविधा का लाभ लेने हेतु केवल उन

उम्मीदवारों को अवसर दिया जावेगा जो मध्यप्रदेश के शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों/शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों, मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों/स्वशासी महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु उस श्रेणी के लिये उपलब्ध कुल सीटों की संख्या तक मेरिट में स्थान प्राप्त करेंगे।

टिप्पणी : "गरीबी रेखा" के नीचे के स्तर के व्यक्तियों के पुत्र/पुत्रियों को इस आशय का प्रमाण-पत्र कि उनके पिता/माता गरीबी रेखा के नीचे के स्तर के व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। मध्यप्रदेश राज्य शासन के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को अपने पिता/माता के नियोक्ता से इस आशय का प्रमाण पत्र कि उनके पिता/माता राज्य शासन के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, प्राप्त कर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

2.12 प्रवेश परीक्षा (पी.पी.टी.) अंकों में अधिभार :

राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं का व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर मेरिट सूची में स्थान निर्धारित किया जायेगा। उम्मीदवार को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर स्वर्ण पदक प्राप्त करने के विषय में निर्धारित प्रारूप-14 में प्रमाण-पत्र संचालक, खेल एवं युवक कल्याण विभाग, म.प्र. शासन से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

2.13 सीटों की उपलब्धता :-

तालिका-1 में विभिन्न पोलीटेकनिक संस्थाओं के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु उपलब्ध ब्रांचवार कुल सीटों की संख्या दर्शाई गई है ।

नोट :- विभिन्न व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में स्वीकृत प्रवेश क्षमता का नियमानुसार वास्तविक विभाजन यथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालय/अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालय तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में एन.आरआई., महिला सीटें, सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सैनानी, विकलांग उम्मीदवारों एवं जम्मू कश्मीर राज्य के विस्थापितों के लिये सीटों का विवरण तथा निजी क्षेत्र की संस्थाओं में एन.आरआई., जम्मू कश्मीर राज्य के विस्थापितों के लिये सीटों का विवरण काउंसिलिंग प्राधिकारी द्वारा काउंसिलिंग के पूर्व बेवसाईट पर उपलब्ध कराया जायेगा। AICTE/राज्य शासन द्वारा डिप्लोमा की संस्थाओं में संख्या में वृद्धि/कमी किये जाने की स्थिति में अद्यतन स्थिति ही मान्य की जावेगी।

2.14 ए.आई.सी.टी.आई. द्वारा शासित पाठ्यक्रमों के लिए 10 प्रतिशत अतिरिक्त स्थान उन संस्थाओं के लिए, जिन्होंने इसके लिये आवेदन किया है तथा जिसे राज्य सरकार द्वारा अनुज्ञा दी गई है, स्वैच्छिक आधार पर महिलाओं, निःशक्तों तथा समाज के कमजोर वर्ग के लिये निःशुल्क शिक्षण फीस के आधार पर स्वीकृत किए जा सकेंगे।

अन्य स्थानों के लिए प्रवेश प्रक्रिया तथा इन स्थानों के लिए परामर्श (काउन्सलिंग) उसी प्रकार होगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जाए।

2.15 सीटों का आरक्षण

मध्यप्रदेश के शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों/शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों, मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों/स्वशासी महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु पात्रता के लिए (सैनिक वर्ग एवं जम्मू-काश्मीर राज्य के विस्थापित उम्मीदवार को छोड़कर) उम्मीदवार को मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी होने की शर्त को पूर्ण करना आवश्यक होगा। मध्यप्रदेश के शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों/शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों, मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों/स्वशासी महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु उपलब्ध कुल सीटों में मध्यप्रदेश की अनुसूचित जाति (SC), अनु.जनजाति (ST) तथा अन्य पिछड़ी जाति (OBC) श्रेणी (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के उम्मीदवारों के लिए क्रमशः 16, 20 तथा 14 प्रतिशत सीटों का आरक्षण रहेगा।

निजी क्षेत्र के पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में सामान्य पूल के लिये उपलब्ध सीटों में से प्रत्येक ब्रांच में 50 प्रतिशत सीटें अनारक्षित श्रेणी में रहेंगी जिसके लिये मध्यप्रदेश के मूल निवासी की बाध्यता नहीं रहेगी शेष 50 प्रतिशत सीटों में मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति (SC), अनु.जनजाति (ST) तथा अन्य पिछड़ी जाति (OBC) श्रेणी (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के उम्मीदवारों के लिए क्रमशः 16, 20 तथा 14 प्रतिशत सीटों का आरक्षण रहेगा।

2.16 प्रवेश परीक्षा हेतु पात्रता एवं शैक्षणिक अर्हता:

2.16.1 उम्मीदवार भारतीय नागरिक हो।

2.16.2 मध्यप्रदेश के शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों/शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों, मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों/स्वशासी महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में प्रवेश के लिये मध्यप्रदेश का मूल-निवासी होना आवश्यक है।

निजी क्षेत्र के पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में सामान्य पूल के लिये उपलब्ध सीटों में से प्रत्येक ब्रांच में अनारक्षित श्रेणी की सीटों के लिये मध्यप्रदेश के मूल निवासी की बाध्यता नहीं रहेगी।

2.16.3 सभी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु उम्मीदवार का निम्नालिखित में से कोई भी एक परीक्षा विज्ञान (भौतिकी एवं रसायन) तथा गणित मुख्य विषयों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है:

माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से (10+2) प्रणाली की दसवीं कक्षा की परीक्षा/SSC परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण {मध्यप्रदेश के मूलनिवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग(क्रीमीलेयर को छोड़कर) के लिये न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण} होना अनिवार्य होगा

नोट:-

1. ऐसे उम्मीदवार भी प्रवेश के लिये पात्र होंगे जिन्होंने अर्हकारी परीक्षा कृपांक (ग्रेस) के साथ उत्तीर्ण की होगी ।
2. पीपीटी-2011 की प्रवेश परीक्षा में ऐसे समस्त उम्मीदवार जो अर्हकारी परीक्षा में सत्र 2010-11 में सम्मिलित हो रहे हैं, भाग ले सकते हैं परंतु उन्हें परामर्श के समय अर्हकारी परीक्षा की मूल अंक सूची प्रस्तुत करना होगी ।

2.17 योग्यता क्रम सूचियां

उम्मीदवारों द्वारा विज्ञान (भौतिकी एवं रसायन) एवं गणित विषयों में प्राप्तांक के आधार पर व्यापमं द्वारा एकीकृत योग्यता क्रम सूचियां (Common Merit List), के साथ-साथ अनारक्षित (UR), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमिलियर को छोड़कर) (OBC) श्रेणियों के लिये अलग-अलग योग्यता क्रम सूचियां तैयार की जावेगी। समान अंक प्राप्त होने पर गणित विषय में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को योग्यताक्रम सूची में ऊपर रखा जावेगा । गणित विषय में भी समान अंक होने पर अधिक आयु वाले उम्मीदवार को योग्यताक्रम सूची में ऊपर रखा जावेगा । व्यापमं द्वारा जारी की गई इन योग्यता क्रम सूचियों से प्रवेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा आयोजित ऑनलाइन ऑफ कैम्पस काउंसिलिंग के माध्यम से किये जावेंगे ।

टिप्पणी:- राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर मेरिट सूची में स्थान निर्धारित किया जायेगा। ऐसे उम्मीदवार को जो 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार लिए हैं, मेरिट सूची में समान अंक प्राप्त उस उम्मीदवार से नीचे रखा जाएगा जिसे ऐसा अधिभार प्राप्त नहीं है ।

2.18 प्रवेश नियम, प्रवेश प्रक्रिया, मूल प्रमाण-पत्रों की जाँच, प्रवेश रद्द किया जाना, शिक्षण शुल्क इत्यादि के संबंध में विस्तृत जानकारी काउंसिलिंग के पूर्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपनी वेबसाइट www.dtempcounselling.org पर उपलब्ध कराई जावेगी

तालिका-1

सत्र 2011-2012 में विभिन्न पोलिटेकनिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु संभावित संस्थावार एवं ब्रांचवार सीटों की संख्या

Sr.	Institution	Branch	Intake
GOVERNMENT AUTONOMOUS POLYTECHNIC COLLEGE			
1	Bhopal (S V Polytechnic College)	CIVIL	60
		COMPUTER SCIENCE	55
		ELECTRICAL	65
		ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION	65
		INFORMATION TECHNOLOGY	55
		CONSTRUCTION TECHNOLOGY & MANAGEMENT	60
		PRODUCTION ENGG.	60
		ARCHITECTUTRAL ASSISTANTSHIP	30
		MECHANICAL	60
2	Damoh	CIVIL	60
		COMPUTER SCIENCE	60
		ELECTRICAL	60
		ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION	60
		MECHANICAL	60
3	Dhar	COMPUTER SCIENCE	60
		INFORMATION TECHNOLOGY	60
4	Gwalior (B R Ambedkar Polytechnic College)	CIVIL	60
		COMPUTER SCIENCE	60
		ELECTRICAL	60
		INFORMATION TECHNOLOGY	60
		TEXTILE TECHNOLOGY	60
		MECHANICAL	60
5	Jabalpur (Kala Niketan Polytechnic College)	CIVIL	59
		AUTOMOBILE ENGG.	60
		COMPUTER SCIENCE	56
		ELECTRICAL	60
		ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION	66
		INFORMATION TECHNOLOGY	56
		PRINTING TECHNOLOGY	60
		MECHANICAL	60
6	Jaora	CIVIL	60
		COMPUTER SCIENCE	60
		ELECTRICAL	60
		MECHANICAL	60

7	Khandwa	CIVIL	60
		COMPUTER SCIENCE	60
		ELECTRICAL	60
		ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION	60
		REFRIGERATION & AIR CONDITIONING	60
		MECHANICAL	60
8	Nowgong	CIVIL	60
		COMPUTER SCIENCE	60
		ELECTRICAL	60
		ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION	60
		MECHANICAL	60
9	Ujjain	COMPUTER SCIENCE	60
		CHEMICAL ENGG.	60
		REFINERY & PETROCHEMICAL	60
		PLASTIC TECHNOLOGY	60
		CONSTRUCTION TECHNOLOGY & MANAGEMENT	60
		ELECTRICAL	60
		ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION	60
		INFORMATION TECHNOLOGY	60
		MECHANICAL	60
TOTAL			3207
GOVERNMENT POLYTECHNIC COLLEGE			
10	Alirajpur	ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION	60
		CIVIL	60
11	Anuppur	ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION	60
		COMPUTER SCIENCE	60
12	Ashoknagar	CIVIL	60
		ELECTRICAL	60
		ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION	60
		MECHANICAL	60
13	Badwani	COMPUTER SCIENCE	60
		INFORMATION TECHNOLOGY	30
		CIVIL	30
		REFRIGERATION & AIR CONDITIONING	30
		COMPUTER HARDWARE AND MAINTENANCE	30

14	Balaghat	CIVIL	60
		COMPUTER SCIENCE	60
		ELECTRICAL	60
		MECHANICAL	60
15	Betul	COMPUTER SCIENCE	60
		ELECTRICAL	60
		ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION	60
		MECHANICAL	60
16	Dabra	COMPUTER SCIENCE	60
		ELECTRICAL	60
17	Datia	ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION	60
		ELECTRICAL	60
18	Dewas	MECHANICAL	60
		ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION	60
19	Dindori	CIVIL	60
		COMPUTER SCIENCE	60
20	Harda	CIVIL	60
		COMPUTER SCIENCE	60
		ELECTRICAL	60
		MECHANICAL	60
21	Jawad	ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION	60
		MECHANICAL	60
22	Katni	MECHANICAL	60
		COMPUTER SCIENCE	60
23	Khirsadoh	CIVIL	60
		COMPUTER SCIENCE	60
		ELECTRICAL	60
		ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION	60
		MECHANICAL	60
24	Khurai	CIVIL	60
		ELECTRICAL	60
		MECHANICAL	60
25	Mandsaur	ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION	60
		COMPUTER SCIENCE	60
26	Morena	COMPUTER SCIENCE	10
		ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION	10
		ELECTRICAL	10
		MECHANICAL	10

27	Pachore	ELECTRICAL	60
		MECHANICAL	60
28	Raghogarh	ELECTRONICS AND INSTRUMENTATION	60
29	Raisen	ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION	60
		CIVIL	60
30	Rewa	ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION	60
		COMPUTER HARDWARE AND MAINTENANCE	60
31	Sanawad	CIVIL	60
		COMPUTER HARDWARE AND MAINTENANCE	60
		COMPUTER SCIENCE	60
		ELECTRICAL	60
		ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION	60
		MECHANICAL	60

32	Satna	COMPUTER SCIENCE	60
		CEMENT TECHNOLOGY	60
		ELECTRICAL	60
		MECHANICAL	60
33	Seoni	CIVIL	60
		COMPUTER SCIENCE	60
		ELECTRICAL	60
		MECHANICAL	60
34	Shahdol	CIVIL	60
		COMPUTER SCIENCE	60
		ELECTRICAL	60
		MECHANICAL	60
35	Shajapur	ELECTRICAL	60
		MECHANICAL	60
36	Sheopur	MECHANICAL	60
		COMPUTER SCIENCE	60
37	Shivpuri	ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION	60
		COMPUTER SCIENCE	60
38	Sidhi	ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION	60
		COMPUTER SCIENCE	60
39	Tikamgarh	COMPUTER SCIENCE	60
		MECHANICAL	60
40	Umaria	MECHANICAL	60
		ELECTRICAL	60

41	Waidhan	COMPUTER SCIENCE	60
		ELECTRICAL	60
		MECHANICAL	60
		CIVIL	45
		ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION	60
TOTAL			5245
GOVERNMENT WOMEN'S POLYTECHNIC COLLEGE			
42	Bhopal (GWP)	ARCHITECTURE & INTERIOR DESIGN	60
		INTERIOR DECORATION & DESIGN	60
		COMPUTER SCIENCE	60
		ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION	60
43	Gwalior (GWP)	COMPUTER SCIENCE	60
		INTERIOR DECORATION & DESIGN	60
		TEXTILE DESIGN	60
		INFORMATION TECHNOLOGY	60
44	Jabalpur (GWP)	COMPUTER SCIENCE	60
		FOOD TECHNOLOGY	60
		ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION	60
TOTAL			660
GOVERNMENT WOMEN'S AUTONOMOUS POLYTECHNIC COLLEGE			
45	Indore (Women Polytechnic College)	ARCHITECTURE & INTERIOR DESIGN	60
		INTERIOR DECORATION & DESIGN	60
		COMPUTER SCIENCE	60
TOTAL			180
GOVERNMENT WOMEN'S (SPECIAL CO-ED) POLYTECHNIC COLLEGE			
46	Bhind	COMPUTER SCIENCE	60
47	Burhanpur	CIVIL	30
		COMPUTER SCIENCE	60
		ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION	60
		MECHANICAL	30
48	Chhindwara	COMPUTER SCIENCE	60
		ELECTRICAL AND ELECTRONICS	30
		COMPUTER SCIENCE	60
49	Khargone	ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION	60
		INFORMATION TECHNOLOGY	60
		COMPUTER SCIENCE	60
50	Narsinghpur	ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION	60
		COMPUTER SCIENCE	60

51	Panna	COMPUTER SCIENCE	60
52	Sagar	ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION	60
		ARCHITECTURE & INTERIOR DESIGN	60
TOTAL			870
GOVERNMENT AIDED POLYTECHNIC COLLEGE			
53	Indore (Shri Vaishnav Polytechnic College)	CIVIL	60
		COMPUTER SCIENCE	60
		ELECTRICAL	60
		ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION	60
		MECHANICAL	60
		OPTO ELECTRONICS ENGG.	60
		PRODUCTION ENGG.	60
		TEXTILE TECHNOLOGY	60
		OPHTHALMIC TECH.	30
		AUTOMOBILE ENGG.	60
54	Vidisha (SATI-Polytechnic)	CIVIL	60
		COMPUTER SCIENCE	60
		ELECTRICAL	60
		ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION	60
		INFORMATION TECHNOLOGY	60
		MECHANICAL	60
TOTAL			930
PRIVATE INSTITUTIONS			
55	RAMNATH SINGH INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCE, GWALIOR	CIVIL	60
		COMPUTER SCIENCE	60
		ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION	60
		INFORMATION TECHNOLOGY	60
		MECHANICAL	60
TOTAL			300
GRAND TOTAL			11392

नोट:- एआईसीटीई/राज्य शासन के निर्णयानुसार तत्समय तालिका में दर्शाई गई सीटों की संख्या परिवर्तनीय है।

प्रमाण-पत्रों के प्रारूप

प्रारूप-1

उम्मीदवार के पिता/माता/वैध अभिभावक का शपथ पत्र
(केवल अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये)

नाम :

पिता का नाम :

अनुसूचित जाति/जनजाति :
(अनु.का क्रमांक)

धर्म :

व्यवसाय :

पता :
.....
.....

मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि –

1. मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 341/342 के अंतर्गत जिला.....
(म.प्र.) के लिये घोषितअनुसूचित
जाति/अनुसूचित जनजाति का /की सदस्य हूँ।
2. मेरे द्वारा अनुविभागीय अधिकारीके समक्ष
जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु जो आवेदन पत्र दिनांक.....
को प्रस्तुत किया जा रहा है उसमें वर्णित जानकारी मेरे ज्ञान/विश्वास के
अनुसार सत्य है।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

.....

टिप्पणी – जो अनुपयुक्त विकल्प हो उसे काट दें एवं प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

प्रारूप-2 (अ)
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग जिला.....मध्यप्रदेश

पुस्तक क्रमांक..... प्रकरण क्रमांक.....

.....

प्रमाण- पत्र क्रमांक

जाति प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी

.....

पिता/पति का नाम निवासी/ग्राम/नगर

.....वि.ख.....तहसील.....जिला.....संभाग.....

.....के..... जाति/जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति

को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित

जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह

..... जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976

के अंतर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक.....पर अंकित हैं. अतः

श्री/श्रीमती/कुमारी पिता/पति का नाम

.....अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है.

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी

.....के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये है।

दिनांक

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का
नाम
पदनाम
(सील)

प्रारूप-2 (ब)

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभागजिला.....मध्यप्रदेश

अस्थायी प्रमाण-पत्र

पुस्तक क्रमांक.....
क्रमांक.....
प्रमाण-पत्र क्रमांक

प्रकरण

tkfr iæk.k&i =

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी

.....
पिता/पति का नामनिवासी/ग्राम/नगर
.....वि.ख.....तहसील.....जिला.....संभाग.....
के.....जाति/जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति
को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित
जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह
..... जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976
के अंतर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक.....पर अंकित हैं. अतः
श्री/श्रीमती/कुमारी पिता/पति का नाम
.....अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है.

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी

.....
के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये है।

दिनांक :

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम

यह प्रमाण पत्र जारी होने के दिनांक से 6 माह के लिये वैध होगा ।

मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला प्रमाण-पत्र का प्रारूप

LFkk; h i æk.k&i =

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग.....जिला.....मध्यप्रदेश

पुस्तक क्रमांक.....

प्रकरण क्रमांक.....

प्रमाण-पत्र क्रमांक.....

tkfr i æk.k&i =

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री
.....आत्मज श्रीनिवासी / ग्राम.....
...जिला / संभाग.....मध्यप्रदेश के निवासी हैं, जो
.....जाति के हैं, जिसे पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र.एफ.
8-5 / पच्चीस / 4 / 84 दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा अधिमन्य किया गया है।

श्रीऔर / या उनका परिवार सामान्यतः मध्यप्रदेश के जिला....
.....संभाग.....में निवास करता है. व मध्यप्रदेश राज्य में दिनांक...
.....को प्रव्रजन कर चुका है.

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री
(पिता का नाम) क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों / वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं,
जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्र.
360 / 2 / 22 / 93 / स्था. (एस.सी.टी.), दिनांक 8-9-93 द्वारा जारी सूची के कालम-3
में तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ.
7-26 / 93 / 1 / आ.प्र., दिनांक 8 मार्च, 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट "ई" की
अनुसूची के कालम (3) में किया गया है.

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री / श्रीमती / कुमारी.....
.....के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपयेहै ।

दिनांक:.....

(सील)

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम

मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला प्रमाण-पत्र

vLFkk; h i æk.k&i =

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग.....जिला.....मध्यप्रदेश

पुस्तक क्रमांक.....

प्रकरण क्रमांक.....

..

प्रमाण-पत्र क्रमांक.....

जाति प्रमाण-पत्र

1. यह प्रमाणित किया जात है कि श्री.....
..... आत्मज श्रीनिवासी/ग्राम.....
.....जिला/संभागमध्यप्रदेश के निवासी हैं, जो
.....जाति के हैं, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्यप्रदेश शासन, आदिमजाति,
अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र.
एफ8-5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा अधिमन्य किया गया है।

श्री.....और या उनका परिवार सामान्यतः
मध्यप्रदेश के जिला.....संभागमें निवास करता है
व मध्यप्रदेश राज्य में दिनांक.....को प्रव्रजन कर चुका है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री
(पिता का नाम) क्रीमीलेयर सम्पन्न वर्ग व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं,
जिसका उल्लेख भारत सरकार,कामिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्र.
360/2/22/93/स्था. (एस.सी.टी.), दिनांक 8-9-93 द्वारा जारी सूची के कालम-3
में तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ.
7-26/93/1/आ. प्र., दिनांक 8 मार्च, 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट "ई" की
अनुसूची के कालम (3) में किया गया है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारीके
परिवार की कुल वाषिक आय रूपयेहै।

दिनांक:.....

(सील)

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का
नाम, पदनाम

(यह प्रमाण-पत्र जारी होने के दिनांक से 6 माह के लिये वैध रहेगा)

प्रारूप-4(अ)
सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र

भूतपूर्व सैनिक / मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी / स्थायी रूप से विकलांग प्रतिरक्षा कर्मचारी

सन्दर्भ क्रमांक
दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती
.....जो व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम).....
.....वर्ष.....के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम)
.....पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उम्मीदवार हैं,
श्री / कुमारी.....के पिता / माता हैं।

(अ) थलसेना / वायुसेना नौसेना के / की एक भूतपूर्व सैनिक
हैं / सेवानिवृत्ति / सेवामुक्ति के समय वे.....पद पर थे / थी और उनका
सर्विस क्रमांकथा ।

अथवा

(ब) जिन्होंने थलसेना / वायुसेना / नौसेना में.....पद पर
सर्विस क्रमांक.....के अधीन सेवा की है. सेवा के दौरान वे स्थाई रूप से
विकलांग हो गये हैं। सेवा के दौरान उनकी मृत्यु वर्षमें हो चुकी
है ।

स्थान :

दिनांक:.....

जिला सैनिक कल्याण
अधिकारी के हस्ताक्षर
(कार्यालय सील)

प्रारूप 4 भाग (ब)

भूतपूर्व सैनिक द्वारा स्थाई रूप से मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित होने संबंधी
प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

मेरे समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी (उम्मीदवार का नाम)जो व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम)..... वर्ष.....के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम).....में प्रवेश के लिए उम्मीदवार श्री/कुमारी.....के पिता/माता सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक हैं और स्थायी रूप से(स्थान) तहसील.....जिला.....में व्यवस्थापित हो गये हैं ।

स्थान:—

दिनांक.....

जिला सैनिक कल्याण
अधिकारी के हस्ताक्षर
(कार्यालय सील)

प्रारूप-5

मध्यप्रदेश में/ मध्यप्रदेश के बाहर अन्य राज्य में कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी
संदर्भ क्रमांक

दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/.....जो व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा नाम)..... वर्ष.....के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम)..... पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उम्मीदवार श्री/कुमारी.....के पिता/माता है ।

(अ) थलसेना/वायुसेना/नौसेना.....के ओहदे पर सर्विस क्रमांक.....के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी हैं और वे मध्यप्रदेश में स्थित प्रतिरक्षा इकाई में पदस्थ हैं. वे इस इकाई में दिनांकसे सेवारत हैं ।

(ब) थलसेना/वायुसेना/नौसेना मेंके ओहदे पर सर्विस क्रमांक.....के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी हैं और वे मध्यप्रदेश राज्य के बाहर स्थित प्रतिरक्षा इकाई में पदस्थ हैं ।

स्थान :.....

दिनांक:.....

हस्ताक्षर आफिसर कमांडिंग
कार्यालय सील

प्रारूप-6
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक.....
.....

दिनांक

- (1) प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी.....
...(उम्मीदवार का नाम) पुत्र/पुत्री/श्री/कुमारी
.....(उम्मीदवार के पिता का नाम) श्री/श्रीमती
.....(उम्मीदवार के पिता/माता का नाम)
के/की नैसर्गिक (Natural) पुत्र/पुत्री हैं. (जो श्री/श्रीमती.....
.....(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) का/की नैसर्गिक (Natural) पुत्र/पुत्री
हैं।
- (2) श्री/श्रीमती.....(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का
नाम) का नाम मध्यप्रदेश जिला(जिले का नाम) में संधारित
(Maintained) स्वतंत्रता संग्राम के पंजी (Register) में क्रमांक.....पर
पंजीकृत है।

स्थान.....
दिनांक.....

हस्ताक्षर क्लेक्टर
(कार्यालय की स्पष्ट मुहर)

प्रारूप-7
वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
.....आत्मज/आत्मजा/पत्नी/श्री.....जो
व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम).....
.....वर्ष.....के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम).....
..... पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार हैं ने नियमित
छात्र/छात्रा के रूप में इस संस्था(संस्था का नाम) में
सत्रसे सत्र.....तक अध्ययन किया है।

स्थान.....
दिनांक.....

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर.....
नाम एवं पद
(कार्यालयीन सील)

प्रारूप-8
वास्तविक निवासी प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
आत्मज/आत्मजा/पत्नी/श्री.....जो तहसील.....
..... जिला....., मध्यप्रदेश के निवासी हैं, क्योंकि वह

(1) मध्यप्रदेश में पैदा हुआ है/हुई है.

अथवा

(2) वह/उसका पालक/वैध अभिभावक मध्यप्रदेश में निरंतर कम से कम 15 वर्ष से रह रहा है।

अथवा

(3) उसके पालकों में से कोई राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी है अथवा केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है जो मध्यप्रदेश में सेवारत है।

(4) वह स्वयं अथवा उसके पालक, राज्य में पिछले पाँच वर्षों से कोई अचल संपत्ति, उद्योग अथवा व्यवसाय करते हैं इसके अतिरिक्त—

(1) उसने अपनी शिक्षा मध्यप्रदेश में स्थित किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की है जिसमें कक्षा एक के पूर्व की शिक्षा सम्मिलित नहीं होगी।

अथवा

(2) उसने मध्यप्रदेश स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से निम्नलिखित परीक्षाओं में कम से कम एक परीक्षा उत्तीर्ण की है :—

(क) 10+ 2 प्रणाली की दसवीं/बारहवीं कक्षा की परीक्षा

(ख) आठवीं कक्षा की परीक्षा.

दिनांक.....

.....

स्थान

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम एवं सील.

प्रारूप-9
वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम).....वर्ष.....
.....के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम)..... पाठ्यक्रम में प्रवेश के
लिए उम्मीदवार हैं, श्री/श्रीमतीका/की पुत्र/पुत्री हैं।

क) जोविभाग में.....पद पर
.....(तिथि) से पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी हैं।
अथवा

(ख) जो.....विभाग में.....पद पर पदस्थ
मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी थे और जो(तिथि) को इस विभाग से सेवा
निवृत्त हुए।

अथवा

(ग) जो.....विभाग मेंपद पर
पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के ऐसे कर्मचारी थे जिनकी मृत्यु सेवा में रहते हुए.....
.....(तिथि) को हो गई थी।

अथवा

(घ) जो.....विभाग में.....पद पर पदस्थ
मध्यप्रदेश के संवर्ग में धारित अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हैं।

स्थान.....

दिनांक.....

.....
कार्यालय प्रमुख/सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
कार्यालयीन सील.

प्रारूप-10
वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....जो
व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम).....वर्ष.....
के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम)..... पाठ्यक्रम में प्रवेश के
लिए उम्मीदवार हैं श्री/श्रीमती.....का/की पुत्र/पुत्री हैं, जो दिनांक 1 जनवरी,
2010 को अथवा उसके पूर्व की तिथि.....से मध्यप्रदेश में स्थित.....
विभाग में.....पद पर पदस्थ केन्द्रीय शासन/सार्वजनिक उपक्रम का/की
कर्मचारी हैं।

स्थान.....

दिनांक.....

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर
नाम एवं पद
(कार्यालयीन सील)

प्रारूप-11
मध्यप्रदेश में पुनर्व्यवस्थापन संबंधी प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....जो
व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम).....
वर्ष.....के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम).....
..... पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उम्मीदवार हैं श्री/श्रीमती.....
का/की पुत्र/पुत्री हैं, जोयोजना के तहत मध्यप्रदेश में
व्यवस्थापित हैं। यह योजना भारत शासन/मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत
पुनर्व्यवस्थापन योजना (Resettlement Scheme) है।
स्थान.....
दिनांक.....

हस्ताक्षर कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट
(कार्यालयीन सील)

प्रारूप 12
जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित उम्मीदवार संबंधी प्रमाण-पत्र

Office of the Zonal Officer-----

TO WHOM IT MAY CONCERN

Certified that S /D/o
.....R/o.....
..... Tehsil..... District.....
Pin..... is registered as migrant under Govt. Employee/Relief
category in this zone vide Registration No..... D
Form No..... R/Card No..... at
S.No..... of his/her father ration card issued from this zone.

.....
.....
Zonal
Officer/Tehsildar
Seal of Tehsildar.

मध्यप्रदेश के अधिकारी/कर्मचारी जिनकी पदस्थापना आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण हेतु जम्मू एवं कश्मीर राज्य में की गई का प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक.....
.....

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी.....
.....आत्मज/आत्मजा श्रीजो
व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम).....
.....वर्ष.....के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम).....
.....पाठ्यक्रम में जम्मू एवं काश्मीर राज्य के विस्थापित उम्मीदवारों की सीटों
के विरुद्ध प्रवेश का उम्मीदवार हैं।

श्री.....(उम्मीदवार का नाम)
के पिता/माता श्री/श्रीमती
मध्यप्रदेश सेवा के अधिकारी/कर्मचारी हैं जिनकी पदस्थापना जम्मू एवं कश्मीर राज्य
में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण हेतु दिनांकसे दिनांक.....
.....तक (स्थान का नाम) में रही है।

विभागाध्यक्ष या उसके द्वारा अधिकृत
अधिकारी के हस्ताक्षर

राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक अर्जित करने वाले
खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
आत्मज/आत्मजा/श्री ने वर्ष
की में भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग नई
दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त खेल संगठनों के अधिकार पत्र पर आयोजित
..... राष्ट्रीय प्रतियोगिता में
.....स्वर्ण पदक अर्जित किया है ।

स्थान

दिनांक

संचालक

खेल और युवक कल्याण, मध्यप्रदेश
हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा

नोट :-

ओपन, जूनियर, सीनियर एवं नेशनल गेम्स राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के अतिरिक्त अन्य
राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को इस हेतु राष्ट्रीय प्रतियोगिता की श्रेणी में नहीं माना जावेगा

पाठ्यक्रम एवं अन्य जानकारी पाठ्यक्रम (सिलेबस)

भौतिकी - (50 प्रश्न)

गति -	गति विस्थापन, एक समान तथा असमान गति, चाल और वेग, त्वरण गति के समीकरण।
बल -	बल, पिण्ड का जड़त्व, संतुलित बल, असंतुलित तथा त्वरण पिण्ड का द्रव्यमान, त्वरण और बल में संबंध, क्रिया और प्रतिक्रिया बलयुग्म।
गुरुत्वाकर्षण -	गुरुत्वाकर्षण नियम, गुरुत्वीय त्वरण, स्थित वैद्युत बल, चुम्बकीय बल।
कार्य -	बल द्वारा सम्पादित कार्य, कार्य और ऊर्जा में संबंध, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा, संरक्षण नियम शक्ति।
तरंग गति -	तरंग की प्रकृति, माध्यम में तरंगों का संचरण, तरंगों के प्रकार, अनुदैर्घ्य, सरल आवर्त, गति-ग्राफी निरूपण का आयाम, तरंग वेग, तरंग दैर्घ्य तथा आवृत्ति में संबंध, तरंगों का परावर्तन तथा अपवर्तन, अनुप्रस्थ तरंगों के परावर्तन तथा अपवर्तन के नियम, तरंगों के संचरण में ऊर्जा का स्थानांतर, प्रकाश और ध्वनि तरंग, ऊर्जा बाहर के रूप में।
मानव नेत्र -	मानव नेत्र द्वारा प्रकाश तरंगों में वाहित ऊर्जा का अवगम, मानव नेत्र की संरचना एवं कार्यविधि नेत्र लेन्स की फोकस दूर, रेटिना (दृष्टि पटल) पर प्रतिबिम्ब का बनाना, दृष्टिकोण निकट दृष्टि एवं दूरदृष्टि दोषों का निवारण वर्ण अवगम, श्वेत प्रकाश का संगठन, विभिन्न वर्णों का तरंग दैर्घ्य, वस्तुओं का रंग, नेत्र में संवेदी कोशिकाएं शलाका और शंकु, अंध बिन्दु वर्णान्धता।
दूरदर्शी -	रचना और कार्यविधि सूक्ष्मदर्शी-रचना एवं कार्यविधि।
ऊष्मा -	ऊर्जा का रूप यंत्रिकी कार्य और ऊष्मा, ऊष्मा और ताप-मापन, ऊष्मा के प्रभाव, ऊष्मीय प्रसार एवं अवस्था परिवर्तन।

विद्युत् -	ऊर्जा का एक स्रोत, चालक एवं प्रतिरोधक, धारा विभवान्तर और प्रतिरोध का मापन तथा इनमें संबंध। विद्युतधारा का ऊष्मीय प्रभाव ऊष्मीय विद्युत धारा, प्रतिरोध और धारा प्रवाह समय में परिणात्मक संबंध, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित सधित्र विद्युत ऊर्जा का मापन मात्रक एवं पावर।
विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव -	विद्युतवाही चालक कुंडली और परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत मोटर अनुप्रयोग, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा, विद्युत जनित्र दृष्टि धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा (प्रारंभिक ज्ञान)।
घरेलू विद्युत परिपथ -	वायरिंग पन्यूज, संभावित संकट और सुरक्षात्मक उपायों का प्रारंभिक ज्ञान।

ऊर्जा

सूर्य ऊर्जा के स्रोत के रूप में पृथ्वी द्वारा और ऊर्जा का अवशेषण, सौर ऊष्मक, सौर सेल, पवन चक्की, जल विद्युत उत्पादन समुद्री तरंगों से विद्युत।

नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय विखण्डन, नाभिकीय विखण्डन-से विद्युत ऊर्जा परमाणु शक्ति संयंत्र, अवशिष्ट पदार्थों का पुनर्चक्रण, अवशिष्ट पदार्थ, जैव अवकर्षणीय, नाभिकीय तथा रेडियो एक्टिव अवशिष्ट पदार्थ का समुचित विकास, विकिरण संकट, रेडियो एक्टिव अवशिष्ट के हानिकारक प्रभाव रेडियो एक्टिव के समुचित भंडारण की तकनीक। अंतर्दहन इंजन के प्रकार, अंतर्दहन इंजन का कार्य सिद्धांत, ऊर्जा संकट के कारण एवं उनके निवारण हेतु उपाय, ऊर्जा अपव्यय की रोकथाम, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का उपयोग।

विश्व

पृथ्वी -	भौतिक एवं जैविक अवयव, वायुमंडल उत्पत्ति से अब तक हुए परिवर्तन, जीवन की उत्पत्ति तथा निर्वाह में सौर ऊर्जा की भूमिका।
सौर मंडल -	ग्रह तथा उपग्रह सौर मंडल की संरचना, पृथ्वी सहित ग्रहों की आयु।
विश्व -	सौर मंडल, आकाशगंगा, चुम्बित गैलक्सियां, प्रसारी विश्व की उत्पत्ति - बिग बैंग सिद्धांत।

अंतरिक्ष अन्वेषण - अंतरिक्ष अन्वेषण का इतिहास अंतरिक्ष विज्ञान के अनुप्रयोग - कृत्रिम उपग्रह संचार, मौसम का नियंत्रण अन्य ग्रहों तथा बाह्य अंतरिक्ष संबंधी सूचनाओं का संग्रहण ।

रसायन - (50 प्रश्न)

द्रव्य - प्रकृति एवं व्यवहार

भिन्न-भिन्न पदार्थों एवं प्रकृति एवं व्यवहार -

तत्व यौगिक एवं उनमें मिश्रण, द्रव्य की संरचना, अणु एवं परमाणु की संरचना, इलेक्ट्रान, प्रोट्रान न्यूट्रान नाभिकीय संगठन - परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या, परमाणु के विभिन्न ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रान वितरण संयोजी इलेक्ट्रान एवं संयोजकता परमाणु द्रव्यमान एवं अण्विक द्रव्यमान, मोल संकल्पना, यौगिकों का प्रतिशत संगठन ।

रासायनिक बंध - आयनिक एवं सह संयोजी -

बंध का बनना, आयनिक एवं सह संयोजी यौगिकों के मुख्य गुणधर्म ।

भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन -

भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर । संयोजी अभिक्रिया में विस्थापन अभिक्रियाएं अपघटन अभिक्रियाएं, मंद एवं तीव्र अभिक्रियाएं उत्प्रेरक, रासायनिक अभिक्रियाओं का निरूपण, रासायनिक समीकरण, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं ।

विद्युत् रासायनिक सेल -

साधारण वोल्टीय सेल की रचना, विद्युत् रासायनिक सेल की कार्यविधि, सीस संचालक बैटरी एवं शुष्क सेल ।

विद्युत् अपघटन -

विद्युत् अपघटक में आयनों का संचलन, विद्युत् अपघटक में निक्षेपित धातु की मात्रा का धारा एवं समय से संबंध विद्युत् लेपन ।

तत्वों का वर्गीकरण -

तत्वों के गुणों में समानताएं एवं असमानताएं, आवर्त नियम, आवर्त एवं समूह, आवर्त समूहों में तत्वों के गुणों की क्रमिकता, आवर्त सारणी में तत्वों को पूर्वानुमान । जैव ऊर्जा जैव (Biomass) ईंधन के रूप में जैव मात्रा बायोगैस जीवश्म ईंधन के स्रोत कोयला प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम ।

ईंधन के प्रकार -

ईंधन का ऊर्जा, ठोस द्रव और गैसीय ईंधन के अभिलक्षण, दहन हेतु प्रतिबंध, दहन में उत्पन्न ऊष्मा सजीव में भोजन का दहन ।

संतुलित आहार की आवश्यकता -

कार्य की प्रकृति तथा आहार पोषक तत्वों की आवश्यकता एवं कार्य, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा विटामिन एवं खनिज लवण आदि कार्बोहाइड्रेट, वसा विटामिन तथा विटामिन तथा खनिज लवण स्रोत पोषक अल्प पोषण (न्यूनता) उत्पन्न रोग एवं उने लक्षण, प्रोटीन, ऊर्जा कुपोषण, खनिज लवण कुपोषण, रोग के लक्षण अपर्याप्तता के कारक नियंत्रक अतिपोषण के स्थूलता एवं अन्य जटिलताएं कुप्रभाव हृदय वाहिका संबंधी उत्क्रम विकार दांतों का कार्वरण (Mottling) तथा फ्लुरोसिस अति विटामिनता (Hypervitaminosis) एल्कोहल, धूम्रपान, दवाओं तथा मादक पदार्थों की लत से उत्पन्न अक्रम विकार ।

खनिज चक्र -

कार्बन चक्र कार्बन और उसके यौगिक की भूमिका, नाइट्रोजन-चक्र व नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ऑक्सीजन चक्र, ऑक्सीजन प्रक्रम, जल चक्र, विभिन्न चक्रों में ऊर्जा की भूमिका ।

परिस्थितिकी संतुलन -

संतुलन बिगाड़ने में मानव की भूमिका परिस्थितिकी संतुलन बनाये रखने के लिये प्रयास । माध्यमिक जल विलायक के रूप में संतृप्त एवं असंतृप्त समुद्री जल जीवों के आवास के रूप में लवण, जल के उपयोग ।

वायु -

विकिरण से सुरक्षा में वायुमंडल की भूमिका, वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल में जल एवं अन्य कणिकीय द्रव्य कार्बन डाई ऑक्साइड एवं उसका जीवधारियों पर प्रतिकूल प्रभाव, वृक्षों की भूमिका, जीवधर्म ईंधन एवं स्वचलित वहानों द्वारा कार्बन डाई ऑक्साइड का उत्सर्जन धातुओं का धातुओं का संरक्षण, अम्लीय गैसों द्वारा ऐतिहासिक स्मारों की क्षति, जीवधारियों पर एस्वेस्टस धातुकणों इत्यादि का प्रभाव, कार्बन मोनो ऑक्साइड तथा इसका कुप्रभाव, धूप कोहरा, वायु प्रदूषण और इसका मानव पर प्रभाव ।

प्राकृतिक संसाधनों पर मानव की निर्भरता -

पृथ्वी से प्राप्त खनिज धातु एवं अधातु, अधातुओं के उपयोग। कार्बन और उसके यौगिक कार्बन और हाइड्रोकार्बन के गुणधर्म, पेट्रोलियम उत्पाद, धातुओं का निष्कर्षण तथा कुछ मिश्र धातुओं के गुणधर्म, धातु की, अधातुओं तथा कुछ धातुओं के घरेलू एवं औद्योगिक उपयोग।

गणित - (कुल प्रश्न 50)

बीजगणित

- (1) परिमित और अनन्त समुच्चय, उप समुच्चय, रिक्त समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय, पूरक समुच्चय तथा उनका अनुप्रयोग।
- (2) पूर्णांक के समुच्चय पूर्ण संख्याएं पूर्णांक एवं परिमेय संख्याओं का पुनरीक्षण अपरिमेय संख्याओं का समाप्त होने वाले और पुनरावृत्ति न किए जाने वाले दशमलवों के रूप में परिचय। करणी का परिमेयकरण। वास्तविक संख्याएं तथा वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के गुणों का कथन।
- (3) प्रमेय और अनुप्रयोग, बहुपदों के गुणनखण्ड करने में जिसके घात चार से अधिक न हों बहुपदों महत्तम समापवर्त्य और लघुत्तम समापवर्त्य गुणनफल एवं भागफल विधि द्वारा हल।
- (4) दो चर राशियों के रेखिक समीकरण और उसका आरेख, दो चर राशियों की दो रेखिक समीकरण प्रणाली, समीकरणों की संगतता (कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी), समीकरण प्रणाली के हल की बीजगणितीय विधि, विभिन्न क्षेत्रों में समीकरण प्रणाली के अनुप्रयोग।

क्षेत्रमिति

आयत, वर्ग, त्रिभुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिज्या खण्ड अथवा धनु, धनाभ, शंकु, बेलन एवं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन।

त्रिकोणमिति :

- (1) त्रिकोणमिति सर्वसमिकाएं
उपरोक्त सूत्र पर आधारित सरल सर्वसमिका पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात
- (2) ऊंचाई और दूरी पर प्रश्न

ज्यामिति

(1) समरूप त्रिभुज :

1. यदि किसी त्रिभुज में भुजा के समानान्तर एक सरल रेखा खींची जाये तो वह अन्य दो भुजाओं को उसी अनुपात में विभक्त करती है।
2. यदि कोई त्रिभुज में कोई सरल रेखा उसकी दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करे तो वह तीसरी भुजा के समानान्तर होती है।
3. यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर हों तो उसकी संगत भुजाएं समान अनुपाती होती हैं।
4. यदि दो त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती हों तो त्रिभुज आपस में सामान कोणिक होते हैं।
5. यदि त्रिभुज आपस में समान कोणिक हों तो त्रिभुज समरूप होंगे।
6. यदि दो त्रिभुजों की भुजाएं समानुपात में हों तो त्रिभुज समरूप होंगे।
7. यदि दो त्रिभुजों में एक का कोण दूसरे के संगत कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को बनाने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो त्रिभुज समरूप होंगे।
8. यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष से कर्ण पर लम्ब डाला जाए तो लम्ब के दोनों ओर बनने वाले त्रिभुज आपस में समरूप होंगे और दिये हुए त्रिभुज के भी समरूप होंगे।
9. समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं पर बने वर्गों के अनुपात के समान होता है।
10. किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं पर बने वर्गों का योग तीसरी भुजा पर बने वर्ग के बराबर होता है तो तीसरी भुजा के सामने का कोण समकोण होता है।

(2) वृत्त :

1. यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर हों तो आपस में सर्वांगसम होंगे।
2. यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल बराबर हों तो उनकी संगत जीवाएं बराबर होती हैं, इसका विलोम।
3. यदि किसी वृत्त के केन्द्र से जीवा पर लम्ब डाला जाए तो वह जीवा को दो बराबर भागों में विभक्त करता है और इसके विपरीत जीवा के मध्य बिन्दु से वृत्त के केन्द्र को मिलाने वाली सरल रेखा जीवा पर लम्ब होती है।
4. एक और केवल एक ही वृत्त उन तीन बिन्दुओं से होकर खींचा जा सकता है जो एक सरल रेखा में न हो।
5. किसी वृत्त में तुल्य जीवाएं केन्द्र से समान दूरी पर होती हैं और इसके विपरीत यदि किसी वृत्त में दो जीवाएं वृत्त के केन्द्र से बराबर दूरी पर हों तो वे आपस में बराबर होती हैं।
6. वृत्त के किसी चाप द्वारा केन्द्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा वृत्त की परिधि कि किसी बिन्दु पर बने कोण का दुगुना होता है।

7. अर्द्धवृत्ति पर बना कोण समकोण होता है और इसका विलोम।
8. वृत्त के एक ही अवधा में बने कोण आपस में बराबर होते हैं।
9. यदि कोई रेखाखंड अपने एक ही ओर स्थित दो बिन्दुओं पर समान कोण अंतरित करे तो चारों बिन्दु एक चक्रीय होते हैं।
10. किसी वृत्त की तुल्य जीवाएं केन्द्र पर तुल्य कोण अंतरित करती हैं। विलोम यदि दो जीवाएं केन्द्र पर तुल्य कोण अंतरित करें तो वे तुल्य होती हैं।
11. यदि किसी वृत्त में दो चाप केन्द्र पर तुल्य कोण अंतरित करे तो वे चाप तुल्य होंगे तथा इसका विलोम।
12. किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। विलोम यदि किसी चतुर्भुज के दो सम्मुख कोण सम्पूरक हो तो वह चक्रीय चतुर्भुज होगा।
13. वृत्त के किसी बिन्दु पर खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श बिन्दु से खींची गई त्रिज्या पर लम्ब होती है।
14. किसी वृत्त के बाह्य बिन्दु से खींची गई दो स्पर्श रेखायें तुल्य होती हैं।
15. यदि किसी वृत्त की जीवाएं एक-दूसरे को वृत्त के अन्तर्गत अथवा बहिर्गत प्रतिच्छेद करता है तो एक जीवा के खंडों में निर्मित आयत दूसरी के खंडों में निर्मित आयत के क्षेत्रफल के तुल्य होता है।
16. PAB एक वृत्त की छेदन रेखा है जो वृत्त को A और B पर काटती है तथा यह स्पर्श रेखा हो तो सिद्ध करो कि $PA \cdot PB = PT^2$
हो तो सिद्ध रेखा के साथ बनाती है। क्रमशः संगत एकांतर वृत्त खंड में बने कोणों के बराबर होते हैं और इसका विलोम।
17. यदि वक्र रेखा को स्पर्श करे और स्पर्श बिन्दु से एक जीवा खींची जाये तो वे कोण जो जीवा स्पर्श रेखा के साथ बनाती हैं क्रमशः संगत एकांतर वृत्त खंड में बने कोणों के बराबर होते हैं और इसका विलोम।
18. यदि दो वृत्त एक-दूसरे को स्पर्श करते तो स्पर्श बिन्दु वृत्तों के केन्द्रों को मिलाने वाली सरल रेखा पर स्थित होता है।

सांख्यिकी

वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका, मृत्यु संख्या सारणी जीवन मूल्य सूचकांक मूल्य सूचकांक आदि का वर्णनात्मक स्पष्टीकरण।

कम्प्यूटिंग

लूप से संबंधित प्रवाह आरेख, गणितीय गणनाएं जैसे (एलगोरिथम) लाभ-हानि, अनुपात-समानुपात, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक।